कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी,सीतापुर।

अधिनियम की धारा–4 (1) (ख) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना

i.	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ;	जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतापुर, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश,लखनऊ के अधीन, नियन्त्रण एवं निर्देशन में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन,मतदाता सूची की तैयारी तथा लोकसभा/ विधानसभा/विधान परिषद के निर्वाचनों से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन करता है।
ii.	अधिकारियों और कर्मचारियो की शक्तियां और कर्तव्य ;	निर्वाचन सम्बन्धी सभी शक्तियां भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0 लखनऊ में निहित हैं। भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यो का किग्रान्वयन/अनुश्रवण किया जाता है।
iii.	निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है ;	भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0लखनऊ द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जनपद के जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यो का सम्पादन नियत अवधि में किया जाता है।
iv.	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ;	मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0 के निर्देशों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों का प्रभार सौंपा जाता है। अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सौंपे गये दायित्वों/प्रभार को समयबद्ध रूप से निस्तारित करते हैं।
v.	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ;	भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचन विधि निर्देशिका एवं समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो को समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाता है।
vi.	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा पारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण ;	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि जिनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट WWW.eci.gov.in पर उपलब्ध है।
vii.	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है ;	भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0लखनऊ के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावलियों तथा मतदाता फोटो पहचान–पत्र एवं निर्वाचनों के कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता है और इसमें जन प्रतिनिधियों/राजनैतिक दलों एवं जनसामान्य का सहयोग लिया जाता है।

viii.	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण ;	शून्य
ix.	अधिकरियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;	अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर की सूची संलग्न है। (तालिका–1)
x.	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबन्धित हो ;	अधिकारी/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की सूचना संलग्न है। (तालिका–2)
xi.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट ;	मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश द्वारा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, छपाई, मतदाता फोटो पहचान–पत्र और समय–समय पर सम्पादित होने वाले निर्वाचनों से सम्बन्धित व्यय बीजकों के भुगतान हेतु धनावंटन प्रदत्त किया जाता है।
xii.	अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;	शून्य
xiii.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं ;	इस विभाग द्वारा किसी सामाजिक कार्यकलाप का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।
xiv.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा पारित हों ;	भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश की वेबसाईट www.ceouttarpradesh. nic.in पर उपलब्ध है।
xv.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं ;	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी,सीतापुर (सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/जन सूचना अधिकारी द्वारा कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से शायं–5.00 बजे तक)
xvi.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ;	लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम व अन्य विशिष्टियां सलग्न है। (तालिका–3) जिला निर्वाचन अधिकारी से सूचना पाप्त करने हेतु जन सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतापुर को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले नकद स्वरूप द्वारा या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा आवेदन शुल्क संलग्न कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु पत्राचार/सम्पर्क जनसामान्य द्वारा किया जा सकता है।
xvii.	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये;	मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसी अन्य सूचनाओं के विहित किये जाने के उपरान्त उसे यथा समय अद्यावधिक की जाती है।

(8) [handwritten initials]

जिला निर्वाचन कार्यालय,सीतापुर के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन, दूरभाष तथा ई–मेल सम्बन्धी विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के मैनुअल संख्या–IX & X के क्रम में

तालिका–1 व 2

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारियों के नाम	पदनाम	मूल वेतन	दूरभाष नम्बर	ई–मेल
1–	श्रीमती शिखा श्रीवास्तव	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	52000	05862–242333	adeo-sit@nic.in
2–	श्री श्रीकान्त	वरिष्ठ सहायक	52000		
3–	श्री अशोक कुमार वर्मा	वरिष्ठ सहायक	43600		
4–	श्री महरानीदीन गौतम	वरिष्ठ सहायक	43600		
5–	श्री राम सागर चौधरी	वरिष्ठ सहायक	38100		
6–	श्री शंकर लाल	वरिष्ठ सहायक	38100		
7–	श्री सुशील कुमार	कनिष्ठ सहायक	27600		

सहा0 जिला निर्वाचन अधिकारी
सीतापुर।

तालिका–3

क्रम संख्या	विभाग का नाम	जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व टेलीफोन नम्बर	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम व टेलीफोन नम्बर
1	2	3	4
1	जिला निर्वाचन कार्यालय कलेक्ट्रेट,सीतापुर।	शिखा श्रीवास्तव सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सीतापुर। टेलीफोन–05862–242333	डा0 सारिका मोहन जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतापुर। टेलीफोन–05862–242996

सहा0 जिला निर्वाचन अधिकारी
सीतापुर।